संख्याः- 133 /वि0स0/प0का0/03(प)/2023

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

दिनाँक 24 मई, 2023

प्रेषक,

मोहम्मद मुशाहिद,
रिटर्निंग आफिसर
एवं
विशेष सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विषयः उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य एवं श्री बनवारी लाल के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के लिये उप निर्वाचन-2023 में मतदान की गोपनीयता बनाये रखना।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 70 के साथ पठित नियम-39-क की ओर आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना है कि आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उपर्युक्त उप निर्वाचन, 2023 जो सोमवार, दिनाँक 29 मई, 2023 को तिलक हाल,(मतदान स्थल 'अ' एवं 'ब') विधान भवन, लखनऊ में 09.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक होगा, में मतदान करते समय पोलिंग स्टेशन के भीतर उक्त नियमों के अनुसार मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की कृपा करें।

उक्त नियम-39-क की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्नक – यथोक्त

भवदीय,

(मोहम्मद मुशाहिद)
रिटर्निंग आफिसर
एवं
विशेष सचिव।

संख्या /वि0स0/प0का0/03(प)/2023, तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1- सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001
2- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

24.5.2023

(मोहम्मद मुशाहिद)
रिटर्निंग आफिसर
एवं
विशेष सचिव।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 39-क

39-क निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाये रखना और मतदान प्रक्रिया

(1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम -38-क या इन नियमों के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मत-पत्र दिया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और उस प्रयोजन के लिये इसमें इसके पश्चात अधिकथित मतदान की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) निर्वाचक मत-पत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण-

(क) मतदान कोठष्कों में से एक में जायेगा;

(ख) नियम-37-क के उप नियम (2) के अनुसार अपना मत, उस प्रयोजन के लिये दिये गये उपकरण से, अभिलिखित करेगा;

(ग) मत-पत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाय;

(घ) उस दशा में, जिसमें कि उससे यह अपेक्षा की जाय, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिन्ह पीठासीन आफिसर दर्शित करेगा;

(ङ) मुड़े मत-पत्र को मत पेटी में डालेगा, और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(3) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक जिसे मत-पत्र दिया गया, उप नियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने से, पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात भी, इन्कार करे तो उसे दिया गया मत-पत्र, चाहें उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन आफिसर द्वारा या पीठासीन आफिसर के निदेश से मतदान आफिसर द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा।

(6) मत-पत्र वापस लिये जा चुकने के पश्चात पीठासीन आफिसर उसके पृष्ठ भाग पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया " शब्द अभिलिखित करेगा और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सब मत-पत्र जिन पर "रद्द किया गया : मतदान प्रतिक्रिया का अतिक्रमण किया गया " शब्द अभिलिखित हों, एक पृथक लिफाफे में रखे जायेंगे, जिसके ऊपर " मत-पत्र : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित होंगे।

(8) ऐसे अन्य किसी भी शास्ति पर, जिससे कि ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन मत-पत्र वापस ले लिया गया है दण्डनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसका मत, यदि ऐसे मत-पत्र पर अभिलिखित किया गया है, संगणित नहीं किया जायेगा।

Rule 39-A of the conduct of Elections Rules 1961

39-A-maintance of Secrecy of voting by electors, within Polling Stations and Voting Procedure-

1. Every elector to whom a ballot paper has been issued under rule 38-A or under any other provision of these rules, shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.

2. The elector on receiving the ballot paper shall forthwith—
   a. proceed to one of the voting compartments;
   b. record his vote in accordance with sub-rule (2) of Rule 37-A with the article supplied for the purpose ,
   c. fold the ballot paper so as to conceal his vote;
   d. if required, show to the presiding officer the distinguishing mark on the ballot paper;
   e. insert the folded paper into the ballot box; and
   f. quit the polling station.

3. Every elector shall vote without undue delay.

4. No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.

5. If an elector to whom a ballot paper has been issued, refuses, after warning given by the presiding officer, to observe the procedure as laid down in sub-rule (2), the ballot paper issued to him shall, whether he has recorded his vote thereon or not, be taken back from him by the presiding officer or a polling officer under the direction of the presiding officer.

6. After the ballot paper has been taken back, the presiding officer shall record on its back the words "Cancelled: voting procedure violated" and put his signature below those words.

7. All the ballot papers on which the words "Cancelled: voting procedure violated" are recorded, shall be kept in a separate cover which shall bear on its face the words "Ballot papers: voting procedure violated".

8. Without prejudice to any other penalty to which an elector, from whom a ballot paper has been taken back under sub-rule (5), may be liable, the vote, if any, recorded on such ballot paper shall not be counted.